लखनऊ विकास प्राधिकरण

प्राधिकरण भवन, विपिन खण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ

पत्रांक : 2323/EE/HT/G/19 दिनांक: 26-9-2019

विकास प्राधिकरण की अभ्युक्ति एवं पूर्णता प्रमाण–पत्र)

लखनऊ–सुल्तानपुर रोड पर मेसर्स अंसल प्रापर्टीज एण्ड इन्फ्रा0 लि0 के हाईटेक टाउनशिप "सुशान्त गोल्फ सिटी" के अन्तर्गत सेक्टर–आई (सेलिब्रिटी मीडोज), के टावर–एन (ब्लाक–एफ, टाइप–2) हेतु आवेदक श्री हरीश चन्द्रा जोशी, ए0जी0एम0 (लाइजिनिंग), मे0 अंसल प्रापर्टीज एण्ड इन्फ्रा0 लि0, आर्कीटेक्ट–श्री पवन मिश्रा (CA/34606) व स्ट्रक्चर इंजीनियर श्री अशोक कुमार गुप्ता द्वारा दिये गये प्रमाण–पत्र का परीक्षण अवर अभियन्ता श्री शशिभूषण मिश्रा एवं श्री अतुल शर्मा, लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा किया गया है। उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास अधिनियम–1973 की धारा–15क(2) के अनुसार निम्न प्रतिबन्धों के अधीन उपाध्यक्ष, ल0वि0प्रा0 के अनुमोदन दिनांक 09.09.2019 के अनुसार पूर्णता प्रमाण–पत्र जारी किया जाता हैः–

प्रतिबन्ध :

1. नगर निगम/रेजीडेन्ट एसोसिएशन समिति को हस्तान्तरण करने तक भवन के रख–रखाव एवं संयुक्त अवस्थापना सुविधाओं को क्रियाशील रखने की जिम्मेदारी विकासकर्ता की होगी।

2. अग्निशमन विभाग की अनापत्ति में उल्लिखित शर्तों/प्रतिबन्धों को सदैव पालन करना होगा तथा प्रत्येक वर्ष अग्निशमन उपकरण के कियाशील होने के सम्बन्ध में अनापत्ति प्राप्त करना होगा।

3. पक्ष द्वारा उ0प्र0 अपार्टमेन्ट एक्ट–2010 का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा।

4. आवंटी द्वारा विकास कार्य के सम्बन्ध में कोई शिकायत, कमी या अभाव हो तो समस्त समस्याओं का निराकरण करने का उत्तरदायित्व विकासकर्ता का होगा।

5. प्रश्नगत ग्रुप हाउसिंग भूखण्ड पर समस्त टावरों का निर्माण पूर्ण होने के पश्चात् अन्तिम रूप से पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा।

हस्ताक्षर ....

पदनाम अधिशासी अभियन्ता (हा0/ई0सल)

कार्यालय मु0 ल0वि0प्रा0 लखनऊ...